नगर निगम शिमला

संशोधित अतिरिक्त शर्ते

नीलामी सूचना में दर्शायें गये नियम व शर्तों के अतिरिक्त भराडी रैस्ट हाउस, एल0ई0डी0 स्कीन, कार पार्किंगों, दुकानों के लिए अन्य नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैं :-

1. कार पार्किंग को उच्चतम निविदा राशि के आधार पर एक वर्ष के लिये ठेके पर दिया जाएगा। ठेका पूरा होने पर इसके पश्चात निविदाकार/पट्टाधारी को पार्किंग का शान्तिपूर्वक कब्जा नगर निगम को सौंपना होगा।
2. पट्टाविलेख का खर्चा पट्टाधारी/ ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा तथा कार पार्किंगों में वाहनों को पार्क करने का किराया निगम द्वारा निम्न निधार्रित दरों अनुसार वसूल किया जाएगा।
3. लिफट, मैटोपोल कार्ट रोड, हाई कोर्ट कार पार्किंग खलीनी,सिसल,एस डी ए कॉम्पलैक्स, रैन बसेरा (व्यवसायिक पार्किंगें) दरो की सूची

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रूपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रुपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रुपये
0 से 2	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	30.00 रूपये	40.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 6	50.00 रूपये	60.00 रूपये	20.00 रूपये
0 से 12	100.00 रूपये	120.00 रूपये	40.00 रूपये
0 से 24	170.00 रूपये	200.00 रूपये	80.00 रूपये
मासिक	2000.00 रूपये	2500.00 रूपये	750.00 रूपये

निगम कार पार्किंग नजदीक जोधा निवास,अमर भवन, अग्रवाल धर्मशाला, टिम्बर हाउस व अन्य चिन्हित पार्किंगे

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रुपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रुपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रुपये
0 से 2	10.00 रूपये	15.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00 रूपये
0 से 6	20.00 रूपये	25.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 12	25.00 रूपये	30.00 रूपये	15.00 रूपये
0 से 24	30.00 रूपये	35.00 रूपये	20.00 रूपये
मासिक	600.00 रूपये	800.00 रूपये	300.00 रूपये

सड़क पार्किंग/यैलो लाईन पार्किंग के लिए वाहनों को खड़े करने का शुल्क प्रातः 8:00बजे से सांय 8:00बजे तक निम्न अनुसार ठेकेदार द्वारा वसूल किया जायेगा।

समय घण्टो में	चार पहिये वाले हल्के वाहन रू0	दरें स्कूटर/ मोटर साईकिल
0 -2	10/- प्रति वाहन	5/-
0-4	20/- प्रति वाहन	10/-
0-6	30/- प्रति वाहन	15/-
0-12	40/- प्रति वाहन	20/-
0-24	80/-	30/-

1. एल0ई0डी0 स्क्रीन का आंबटन मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित करके 2 वर्ष की अवधि हेतु मासिक किराया राशि के आधार पर किया जायेगा। सफल निविदाकार को एल ई डी स्क्रीन की ठेका राशि देय सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होगें। बाहर के चैक मान्य नहीं होगें। चैक बिना भुगतान के बैंक से वापिस आने पर चैक की राशि में 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वार्षिक ब्याज वसूल किया जायेगा । निविदाकार को स्क्रीन की धरोहर राशि की बैंक गारण्टी के रूप में आयुक्त/सहायक आयुक्त के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।

2. एल0ई0डी0 स्क्रीन चालु हालत में स्थित है जिसकी देख-रेख की पूर्ण जिम्मेवारी उच्चतम् निविदाकार की होगी प्रत्येक वस्तु की इन्वैन्टरी लिस्ट निगम द्वारा जारी की जाएगी और इसी अनुसार ठेका अवधि की समाप्ति पर वापिस कब्जा लिया जाएगा और क्षति होने पर इसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी, तथा सरकार/हि0प्र0 सरकार व नियमों के विरुद्ध कोई भी विषयवस्तु स्क्रीन पर प्रसारित नहीं करनी होगी ।

3. एल0ई0डी0 स्क्रीन हेतु बिजली का बिल व अन्य आने वाला खर्च निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा तथा हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1994 के अर्न्तगत नियम व शर्ते मान्य होगी। हि0प्र0 सरकार/नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन हेतु एक घण्टे में 6 मिनट का समय निःशुल्क प्रदान करना होगा।

4. एल0ई0डी0 स्क्रीन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कारण बताए इसका कब्जा वापिस ले लिया जाएगा।

1. भराडी रैस्ट हाउस का आबंटन मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके 5 वर्ष की अवधि हेतु मासिक किराया राशि के आधार पर किया जाएगा । उच्चतम निविदा राशि में प्रत्येक 3 वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

2. सफल निविदाकार को धरोहर राशि रू0 75,75,000/- की बैक गारण्टी निगम को निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जो आयुक्त/सहायक आयुक्त के पक्ष में देय होगी ।

3. सफल निविदाकार द्वारा भराड़ी रैस्ट हाउस में फर्नीचर, बिजली की फीटिंग व अन्य सामान ठेका समाप्ति की अवधी के बाद निगम को सौंपना होगा।

4. सफल निविदाकार को रैस्ट हाउस की मासिक ठेका राशि की 6 माह की राशि देय सेवाकर सहित सवीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रीम रूप में जमा करवानी होगी तथा प्रत्येक माह की राशि के उतरदिनांकित चैक सेवाकर सहित हर वितीय वर्ष के आरम्भ में प्रस्तुत करने होंगे । चैक बिना भुगतान के बैंक से वापिस प्राप्त होने की स्थिति में चैक की राशि पर 18 प्रतिशत की अतिरिक्त जूर्माना राशि देय होगी ।

5. उच्चतम निविदाकार रैस्ट हाउस का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा और न ही इसे सबलैट करेगा । रैस्ट हाउस में कोई भी गैर–कानूनी कार्य नहीं करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा और धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

6. निगम रैस्ट हाउस वर्तमान में जिस स्थिति में है उन्ही सुविधाओं के साथ आबंटित किया जायेगा तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस आदि की औपचारिकताएं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर पूर्ण करनी होगी । रैस्ट हाउस में किसी प्रकार का अवैध निर्माण व अतिक्रमण करना मान्य नहीं होगा तथा रैस्ट हाउस में प्रत्येक वस्तु की इन्वैटरी निगम द्वारा जारी की जायेगी और इसी अनुसार ठेका अवधि की समाप्ति पर कब्ज़ा वापिस लिया जायेगा । रैस्ट हाउस में किसी भी वस्तु या इसके इर्द–गिर्द लगे वृक्षों की क्षति होने पर इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।

7. उच्चतम निविदाकार को एक वी.आई0पी0 कमरा एक वर्ष की अवधि के लिए तथा एक सामान्य कमरा एक वर्ष में 150 दिनों के लिए आयुक्त नगर निगम के पक्ष में सुरक्षित रखना होगा जिसका आबंटन नगर निगम के अग्रिम आवेदन पर सरकारी दरों पर किया जायेगा ।

कार पार्किंग/दुकान

1. पार्किंग स्थल पर बड़े वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु टाटा सूमो, सिलो, एस्टीम व अन्य बड़ी कारों को निर्धारित दरों पर पार्क करने की अनुमति होगी।
2. सफल निविदाकार को पार्किंगों में स्थानीय लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।
3. पार्किंग स्थल में / से यदि कोई वाहन चोरी / क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नही होगी। इसके लिए अनुबन्धधारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. पार्किंग स्थल से बाहर खड़े वाहनों का किराया अनुबन्धधारी वसूल नही करेगा न ही पार्किंग स्थल से बाहर वाहन खड़े करने की अनुमति होगी।
अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पार्किंग स्थल का कब्जा बिना नोटिस दिये वापिस ले लिया जायेगा।
5. उच्चतम निविदाकार पार्किंग का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा और न ही इसे सबलेट करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल को साफ रखने की जिम्मेवारी भी निविदाकार की होगी व निविदाकार को पार्किंग स्थल पर केवल गाड़ियां खड़ी करने का ही अधिकार होगा, और इस पार्किंग पर निविदाकार का कोई अधिकार उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं होगा तथा न ही पार्किंग में होर्डिंग,बैनर लगायेगा।
6. पार्किंग के बिजली का बिल, स्थल की सफाई तथा यदि शौचालय हो तो उसकी भी सफाई तथा पानी का बिल भी निविदाकार/अनुबन्धधारी स्वयं वहन करेगा।
7. आयुक्त नगर निगम शिमला के पास पार्किंग में होर्डिंग/ बैनर तथा अन्य प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. दुकान/स्टाल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उपलब्ध सुविधाओं के साथ सौंपें जाएगें तथा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृती पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में 6 माह की किराया राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।

9. नगर निगम की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना पट्टाधारी दुकान /स्टाल को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरित या लीज तथा लाईसैंस पर नहीं देगा और न ही किसी के साथ सांझीदारी करने का अधिकार होगा तथा न ही सबलेट करेगा। अनुबन्ध नामा के शर्तो का उल्लंघन करने या निर्धारित मासिक ठेका/लीज राशि नियमित रूप से न जमा करने पर अनुबन्ध तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि /प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. नगर निगम शिमला या अन्य विभागों द्वारा समय–समय पर लगाये जाने वाले सभी प्रकार के कर/सेवाकर इत्यादि पट्टाधारी को स्वयं वहन करने होगे और आवश्यक लाईसैंस/प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेने होगें।

11. लीज/इकरानामा की सभी शर्तो के किसी भी भाग का उल्लंघन होने की दशा में आयुक्त, नगर निगम शिमला को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय लीज/इकरानामा को तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द कर सकेगें तथा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

12. उच्चतम निविदाकार को दुकान/स्टाल के आगे पड़े खाली स्थान/बरामदे में किसी प्रकार का सामान रखने का अधिकार न होगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को यहां बैठने देगा तथा जितना स्थान आवंटित है उतना ही प्रयोग करेगा।

13 उच्चतम निविदाकर ऐसा कोई भी विषयवस्तु ,विज्ञापन नहीं छपवायेगा/प्रकाशित करेगा जो सरकार एवं नगर निगम की नीतियों व जनता की भावनाओं के विरूद्ध हो तथा निर्धारित परिमाप / क्षेत्रफल से अधिक परिमाप / क्षेत्रफल का विज्ञापन नहीं लगायेगा ऐसा होने पर ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी तथा आयुक्त,नगर निगम को उस विज्ञापन को तुरन्त हटाने का अधिकार होगा।

14. लीज की अवधि पूरी होने से पूर्व जनहित में यदि आवश्यक हो तो आयुक्त,नगर निगम शिमला को लीज रद्द करने व दुकान का कब्जा वापिस लेने का अधिकार होगा।

15. उच्चतम निविदाकार को निगम की दुकान/ स्टाल सही दशा में रखनी होगी। इसमें निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति न होगी । निगम सम्पति में किसी प्रकार की क्षति होगी तो बिना किसी पूर्व सूचना के दुकान का कब्जा वापिस ले लिया जाएगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

16. दुकान/स्टाल की सफाई व इसके आस–पास के स्थान को साफ–सुथरा अपने खर्चे पर रखना निविदाकार/पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।